:: सहमति पत्र (हस्त लिखित) ::

प्रति,
प्राचार्य महोदय,
आइडियल एकेडमी
इंदौर (म.प्र.)

मैं .... पिता/माता .... यह सहमति प्रदान करता / करती हूँ कि मैं अपने पुत्र / पुत्री .... कक्षा एवं वर्ग .... को स्वेच्छा से दिनांक ..../.............../2021 से विद्यालय प्रांगण में नियमित कक्षाएं लेने हेतु भेज रहा/रही हूँ। मेरा पाल्य अपेक्षित सामाजिक दूरी के नियमों का पूर्णतः पालन करेगा/करेगी। मैंने विद्यालय द्वारा प्रदान किये गए निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया हैं । मुझे विद्यालय की सफाई व्यवस्थाओं एवं संक्रमण हटाने की सुविधाओं (सेनीटाइजेशन) पर पूर्ण विश्वास है तथा किसी भी परिस्थिति में, मैं विद्यालय प्रशासन को कोरोना या अन्य किसी भी स्वास्थ संबंधी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊँगा/ठहराऊँगी। सोशल डिस्टेसिंग, मास्क और दो गज दूरी का जरूर पालन कराऊँगा / कराऊँगी।

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि मेरा पुत्र / पुत्री, मैं तथा मेरे परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित नहीं है तथा न ही मेरा परिवार किसी कन्टोनमेंट जोन में रह रहा है और ना ही ऐसे स्थान पर मेरा आना–जाना है। मेरे निवास से विद्यालय तक आने के लिए भी किसी कन्टोनमेंट झोन से होकर नहीं गुजरना पड़ता है। मैं भली भांति विचार कर इस सहमति पत्र पर निम्नलिखित दिनांक को हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ।

दिनांक : ....

नाम	**हस्ताक्षर**	**मोबाइल नंबर**
पिता का नाम	....	....
माता का नाम	....	....
छात्र/छात्रा का नाम	....	....

विद्यार्थी का आरोग्य सेतु एप पर वर्तमान स्टेट्स : ....

अनिवार्य : किसी स्वास्थ्य संबंधी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करने हेतु पालक का मोबाइल नंबर ....

पालक व विद्यार्थी के लिए आवश्यक निर्देशः

1. कक्षा 6वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शासन के निर्देशानुसार कार्य दिवसों के लिए खोला जा रहा है।
2. स्कूल आने के लिए विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
3. गाइडलाइन के अनुसार विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हाथों की सफाई तथा श्वसन संबंधी शिष्टाचार (ब्रीदिंग एटिकेट) का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
4. सर्दी, खांसी, बुखार आने पर स्वाद या गंध ना आना तथा सांस लेने में तकलीफ होना ऐसे लक्षणों वाले विद्यार्थियों को पालक विद्यालय ना भेजें।
5. आपके घर में कोई व्यक्ति संक्रमित हो या ऐसे किसी रिश्तेदार के यहां परिवार का कोई सदस्य गया हो जहाँ कोई संक्रमित व्यक्ति था, तो भी आप अपने बच्चे को विद्यालय ना भेंजे।
6. विद्यार्थी के साथ फेस मास्क (एक अतिरिक्त), सैनिटाइज़र, पानी की बोतल, टिशू पेपर या रूमाल अवश्य भेजें।
7. विद्यार्थी को स्वच्छ धुली हुई रेगुलर स्कूल यूनिफार्म में भेजें।
8. विद्यार्थी अपना जरूरत का सारा सामान साथ लाएं कॉपी–किताब, पेंसिल, पेन, रबर, शार्पनर, स्केल यह सामान किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करें।
9. आने जाने के लिए वाहन सुविधा हेतु विद्यार्थी स्कूल रिसेप्शन पर संपर्क करें।
10. यदि अध्ययन के दौरान विद्यार्थी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो विद्यालय द्वारा उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया जाएगा तथा आपको भी फोन पर तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। कोविड सेंटर एवं स्वास्थ केंद्र की सूची विद्यालय में चस्पा है।
11. विद्यालय परिसर में आने के बाद विद्यार्थी को निर्देशित नियमों का पूरी तरह पालन करना आवश्यक होगा अन्यथा अनुशासनहीनता की दशा में उसी समय उन्हें वापस घर भेजने का अधिकार विद्यालय को होगा।
12. आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करके विद्यार्थी के वर्तमान स्टेटस से भी स्कूल को अवगत कराएँ।
13. विद्यार्थियों को अपने साथ मोबाइल लाने की अनुमति नहीं होगी।
14. परिवार में किसी भी सदस्य के कोरोना पॉजिटिव/क्वारंटाइन होने पर इसकी सूचना तुरंत विद्यालय में देवे।
15. विद्यार्थी को विद्यालय परिसर में लगाए गए पोस्टर, डिस्प्ले को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अनुपालन करना होगा।
16. केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा स्कूल रिओपनिंग को लेकर जारी SOP का अध्ययन करने की सलाह भी पालकों को दी जाती है।

मैंने उपर्युक्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, मेरा पुत्र/पुत्री उपर्युक्त नियमों का पूर्णतः पालन करेगा/करेगी, यह विश्वास दिलाता/दिलाती हूँ।

पिता का नाम .... हस्ताक्षर ....

माता का नाम .... हस्ताक्षर ....

विद्यार्थी का नाम .... हस्ताक्षर ....

सादर
आइडियल एकेडमी, इंदौर